04/10/22 वकील पक्षकारान हाजिर। पत्रावली वास्ते निर्णय
पेश हुई। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 2,3,4,5/1,5/2
5/3,5/4,5/5,6,7,8 जरिए अधिवक्ता पेश
होकर उपस्थित होकर प्रा० पत्र बाबत राजीनामा
प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि "पक्षकारान
का आपस में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो
गया है। प्रतिवादीगण [illegible] पुत्र अमोलाई
जाति जाट द्वारा [illegible] रजिस्टर्ड
बैनामा [illegible] 3/ [illegible] CNP [illegible]
04 पुराना, नया कु.नं. 14 के कि.नं. 14/.253, 15/.253 .253
17 कुल 1.012 है० आराजि 4 बीघा नहरी भूमि का वारिस
.253 के पक्ष में करवाया था। बैनामा के आधार पर वारिस

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.10.28 11:18:11 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहलकार हुक्म की ... में आज्ञा

के नाम से राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण नहीं हो सका था। इस कारण वर्तमान में जमाबंदी में प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है। बेचाननामा दिनांक 08/01/1975 के आधार पर खरीददार रामस्वरूप पुत्र छगनलाल कालीराम पुत्र छगनलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दिया जावे तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। खरीद की गई भूमि का कब्जा काश्त वादीगण के पास खरीद के रोज से चला आ रहा है।"

वकील उभयपक्ष द्वारा अपनी बहस में पक्षकारान की सहमति एवं प्रतिवादीगण के राजीनामा अनुरूप बेचाननामा आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा बेचाननामा आधार पर खातेदारी घोषणा का वाद पेश किया गया है। प्रकरण में बेचाननामा की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है, प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं है, ना ही मिलान खसरा प्रस्तुत किया गया है परन्तु प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा बेचाननामा किये जाने एवं बेचाननामा आधार पर नामान्तरण नहीं होने के तथ्य को स्वीकार करते हुए वादीगण को खातेदार घोषित करने हेतु सहमति दी है। [illegible] अतः प्रकरण बेचाननामा के आधार पर नामान्तरण किए जाने से संबंधित है। न्यायालय [illegible] अभाव में वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना उचित नहीं है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा बेचाननामा को स्वीकार कर लिया जाने के कारण अन्य कोई तथ्य का विवेचन किये जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है इसलिए न्यायालय

लगातार

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subha
Chandra
Date: 2022.10.28 11:18:1
Reason: SelfAttested

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की सूरत में बैनामा आधार पर वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण दर्ज किए जाने के आदेश दिया जाना उचित थे। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर आदेश दिया जाता है कि- "तहसीलदार रायसिंहनगर वादीगण द्वारा विवादित भूमि पुराना चक 3 ML मु.नं. 64 वर्तमान चक 85 LNP मु.नं. 14 कि.नं. 14 ता 17 में 1.012 हे० भूमि बाबत बैनामा दिनांक 08.01.1974 प्रस्तुत करने पर नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए मौका खसरा की जाँच कर पूर्ण जाँच उपरान्त वादीगण के नाम से भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज करने की कार्यवाही करें। वादीगण को आदेशित किया जाता है कि वे निर्णय की दिनांक से एकमाह की अवधि के भीतर तहसीलदार रायसिंहनगर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें।" इसी अनुसार पत्रावली डिक्री जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 04/10/2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। ~~पत्रावली फैसले~~ में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (सुभाष चन्द्र) R.A.S. उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.10.28 11:18:11 IST
Reason: SelfAttested